

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/— /2026 दि0 लखनऊ: जून 01, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 473/2026 दिनांक 08.05.2026 के द्वारा माह जून, 2026 में जनपद नोएडा में युगलपीठ का गठन दिनांक 04.06.2026 से 06.06.2026 तक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ मुरादाबाद को सम्मिलित करते हुए एवं दिनांक 18.06.2026 से 20.06.2026 तक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 मेरठ को सम्मिलित करते हुए, किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 नोएडा को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, नोएडा ने विभागीय पोर्टल के द्वारा दिनांक 01.06.2026 से 18.07.2026 तक "चाइल्ड कैयर लीव" आवेदित किया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 473/2026 दिनांक 08.05.2026 द्वारा जनपद नोएडा में दिनांक 04.06.2026 से 06.06.2026 तक एवं दिनांक 18.06.2026 से 20.06.2026 तक गठित युगलपीठ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 01.06.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/574/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2, नोएडा।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुरादाबाद एवं पीठ-2 मेरठ।
- 3- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी, मुख्यालय।
आज्ञा से,

प्र0निबधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।